तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.3.20	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन / बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 7-4-20 को पेश हो।	
7-4-20	~~उभय पक्ष पुकारित~~ पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 12-5-20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
12-5-20	~~उभय पक्ष पुकारित~~ पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 9-6-20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
9-6-20	~~उभय पक्ष पुकारित~~ पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 7-7-20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
7.7.20	उभय पक्ष पुकारित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 28.7.20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
28.7.20	उभय पक्ष पुकारित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 25.8.20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
25.8.20	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन / बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 15.9.20 को पेश हो।	
15.9.20	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित, अप्रार्थीगण सं. 1, 3 से 9 व 11 लगायत 27 के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे आ.पत्र की गई	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.30 15:12:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वकील प्रार्थीगण अप्रार्थी सं० 2 व 10 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहते है। अप्रार्थीगण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नही, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है वकील प्रार्थीगण ने बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	विपक्षी संख्या 2 एवं 10 के विरुद्ध का.[illegible] नही चाहते। [signature] 15/9/2020

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.30 15:12:30 IST
Reason: SelfAttested

S[illegible] with CamScanner

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या –158/19 प्रा.पत्र

1– श्री देवा S/o श्री नन्दा बलाई निवासी सारणो का खेड़ा तहसील माण्डल (कोरा)

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री बालु S/o श्री प्रताप बलाई निवासी सारणो का खेड़ा तहसील माण्डल (कोरा)
(प्रार्थी संलग्न सूची पत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 15.09.20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सारणो का खेड़ा पटवार हल्का छोड़ास तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. प्रार्थना पत्र पृष्ठ पर अंकित कुल किता 11 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06.11.19 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम सारणो का खेड़ा पटवार हल्का छोड़ास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. प्रार्थना पत्र संलग्न पृष्ठ पर अंकित कुल किता 11 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक पीथास 400/– रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.30 15:12:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner